

क्रमांक/राजस्व/2017/न 6

दिनांक 5/3/17

-: आदेश :-

नागरिक उड्डन विभाग जयपुर द्वारा आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी असनावर द्वारा ग्राम कोलाना के ख0न0 218 की 77.04 बीघा में से 76.04 बीघा ख0न0 226 की 12.12 बीघा में से 10.10 बीघा ख0न0 367 की 24.18 बीघा में से 17.13 बीघा ख0न0 370 की 35.07 बीघा में से 19.04 बीघा ख0न0 229 की 11.02 बीघा में से 5.11 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 4 की 2.05 बीघा में से 0.11 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा में से 1.07 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा में से 0.04 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा में से 16.09 बीघा ग्राम खेरासी के ख0न0 32 की 1.00 बीघा ख0न0 34 की 54.07 बीघा ख0न0 36 की 3.11 बीघा ख0न0 38 की 36.15 बीघा में से 23.16 बीघा ख0न0 40 की 48.19 में से 40.07 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 1 की 1.05 बीघा ख0न0 10 की 11.05 बीघा ख0न0 11 की 1.03 बीघा ख0न0 12 की 89.06 बीघा में से 34.07 बीघा ख0न0 214 की 26.04 बीघा में से 19.12 बीघा ख0न0 215/ 377 की 3.05 बीघा में से 0.11 बीघा ग्राम मण्डावर के ख0न0 603 की 21.10 बीघा में से 16.01 बीघा ख0न0 623 की 21.14 बीघा में से 18.07 बीघा ख0न0 842 की 55.00 बीघा ख0न0 844 की 16.06 बीघा में से 14.04 बीघा कुल 26 किता की 444.05 बीघा किस्म वन भूमि कोलाना झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास हेतु भूमि आवंटन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर मय राजस्व रकार्ड के भिजवाये गये हैं। तथा कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास में आई वन विभाग 444.05 बीघा वन भूमि के बदले भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी गंगधार द्वारा ग्राम हरनावदा के ख0न0 225/2 की 85.16 बीघा में से 57.18 बीघा ख0न0 277 की 24.17 बीघा में से 23.03 बीघा ख0न0 311 की 58.09 बीघा ख0न0 296 की 28.11 बीघा ख0न0 315 की 17.00 बीघा ख0न0 320 की 105.14 बीघा में से 100.00 बीघा ख0न0 304 की 56.09 बीघा ख0न0 360 की 82.15 बीघा ख0न0 380 की 44.13 बीघा में से 20.00 बीघा कुल 9 किता की 444.05 बीघा किस्म पहाड भूमि जो वन विभाग से लगवा है को विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 दिनांक 02.01.17 से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये।

राज्य सरकार के पत्र सं0 2(2)राज-3/17 जयपुर दिनांक 02.03.17 से राजस्थान भू राजस्व आवंटन नियम 1963 तथा भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार की स्वीकृति के आलोक में ग्राम कोलाना के ख0न0 218 की 77.04 बीघा में से 76.04 बीघा ख0न0 226 की 12.12 बीघा में से 10.10 बीघा ख0न0 367 की 24.18 बीघा में से 17.13 बीघा ख0न0 370 की 35.07 बीघा में से 19.04 बीघा ख0न0 229 की 11.02 बीघा में से 5.11 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 4 की 2.05 बीघा में से 0.11 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा में से 1.07 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा में से 0.18 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा में से 0.04 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा में से 16.09 बीघा ग्राम खेरासी के ख0न0 32 की 1.00 बीघा ख0न0 34 की 54.07 बीघा ख0न0 36 की 3.11 बीघा ख0न0 38 की 36.15 बीघा में से 23.16 बीघा ख0न0 40 की 48.19 में से 40.07 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 1 की 1.05 बीघा ख0न0 10 की 11.05 बीघा ख0न0 11 की 1.03

जहाँ सोच, वहीं शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।



मैं घर में धूँधट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

बीघा ख0न0 12 की 89.06 बीघा में से 34.07 बीघा ख0न0 214 की 26.04 बीघा में से 19.12 बीघा ख0न0 215/ 377 की 3.05 बीघा में से 0.11 बीघा ग्राम मण्डावर के ख0न0 603 की 21.10 बीघा में से 16.01 बीघा ख0न0 623 की 21.14 बीघा में से 18.07 बीघा ख0न0 842 की 55.00 बीघा ख0न0 844 की 16.06 बीघा में से 14.04 बीघा कुल 26 किता की 444.05 बीघा किस्म वन भूमि की किस्म खारिज कर कोलाना झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास हेतु नागरिक उड्डय विभाग राजस्थान सरकार को निःशुल्क आवंटन की जाती है तथा कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास में आई वन विभाग 444.05 बीघा वन भूमि के बदले ग्राम हरनावदा के ख0न0 225/2 की 85.16 बीघा में से 57.18 बीघा ख0न0 277 की 24.17 बीघा में से 23.03 बीघा ख0न0 311 की 58.09 बीघा ख0न0 298 की 28.11 बीघा ख0न0 315 की 17.00 बीघा ख0न0 320 की 105.14 बीघा में से 100.00 बीघा ख0न0 304 की 58.09 बीघा ख0न0 360 की 82.15 बीघा ख0न0 380 की 44.13 बीघा में से 20.00 बीघा कुल 9 किता की 444.05 बीघा किस्म पहाड भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन कर वन विभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

कमाक/राजस्व/ 17-87
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 9/3/17

1. शासन सचिव, (राजस्व गुप-3) राजस्व विभाग राज0 जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, नागरिक उड्डय विभाग राजस्थान जयपुर
3. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा।
4. मण्डल वन अधिकारी झालावाड़
5. उपखण्ड अधिकारी असनावर
6. उपखण्ड अधिकारी गंगधार
7. तहसीलदार असनावर पटवारी को पाबन्द करें कि भूमि का भौतिक दखल सबधित विभाग को देकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करें।
8. तहसीलदार गंगधार को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग को प्रत्यावर्तन की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग के नाम दर्ज कराई जावे।
9. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 झालावाड़
10. जिला राजस्व लेखाकर स्थानीय कार्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

अति0जिला कलक्टर
झालावाड़



क्रमांक/राजस्व/2017/788

दिनांक 9/3/17

-: आदेश :-

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी असनावर द्वारा उपखण्ड अधिकारी असनावर द्वारा ग्राम कोलाना के ख0न0 370 की 35.07 मे से 3.10 बीघा ख0न0 369 की 39.13 बीघा मे से 0.05 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 मे से 0.05 बीघा ख0न0 4 की 2.05 मे से 0.03 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा मे से 1.13 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा मे से 0.07 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा मे से 0.01 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा मे से 2.16 बीघा ग्राम खेरासी के ख0न0 38 की 36.15 बीघा मे से 3.08 बीघा ख0न0 40 की 48.19 बीघा मे से 2.15 बीघा ग्राम ख0न0 50 की 32.06 बीघा मे से 1.05 बीघा ख0न0 51 की 23.11 बीघा मे से 3.12 बीघा ख0न0 52 की 7.14 बीघा मे से 0.19 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 12 की 89.06 बीघा मे से 6.11 बीघा ख0न0 214 की 26.04 बीघा मे से 1.19 बीघा ख0न0 215/377 की 3.05 बीघा मे से 0.12 बीघा ख0न0 216 की 9.18 बीघा मे से 0.18 बीघा ख0न0 83/379 की 0.07 बीघा मे से 0.02 बीघा ग्राम मण्डावर की 844 की 16.06 मे से 0.15 बीघा कुल किता 19 की 31.16 बीघा किस्म वन भूमि कोलाना झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास मे आयी मेगा हाई वे परिवर्तन हेतु भूमि आवंटन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर मय राजस्व रकार्ड के भिजवाये गये है तथा कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास मे आई मेगा हाई वे परिवर्तन मे वन विभाग की 31.16 बीघा वन भूमि के बदले भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी गंगधर द्वारा ग्राम हरनावदा के ख0न0 230 की 50.09 बीघा मे से 31.16 बीघा किस्म पठार भूमि जो वन विभाग से लगवा है को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है जो इस कार्यालय के पत्राक 2 दिनांक 02.01.17 से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये।

राज्य सरकार के पत्र सं0 2(1)राज-3/17 जयपुर दिनांक 02.03.17 से राजस्थान भू राजस्व आवंटन नियम 1963 तथा भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार की स्वीकृति के आलोक में ग्राम कोलाना के ख0न0 370 की 35.07 मे से 3.10 बीघा ख0न0 369 की 39.13 बीघा मे से 0.05 बीघा ग्राम खरखेडा के ख0न0 3 की 7.00 मे से 0.05 बीघा ख0न0 4 की 2.05 मे से 0.03 बीघा ख0न0 5 की 38.00 बीघा मे से 1.13 बीघा ख0न0 6 की 2.12 बीघा मे से 0.07 बीघा ख0न0 54 की 0.18 बीघा मे से 0.01 बीघा ख0न0 55 की 41.11 बीघा मे से 2.16 बीघा ग्राम खेरासी के ख0न0 38 की 36.15 बीघा मे से 3.08 बीघा ख0न0 40 की 48.19 बीघा मे से 2.15 बीघा ग्राम ख0न0 50 की 32.06 बीघा मे से 1.05 बीघा ख0न0 51 की 23.11 बीघा मे से 3.12 बीघा ख0न0 52 की 7.14 बीघा मे से 0.19 बीघा ग्राम भवरिया के ख0न0 12 की 89.06 बीघा मे से 6.11 बीघा ख0न0 214 की 26.04 बीघा मे से 1.19 बीघा ख0न0 215/377 की 3.05 बीघा मे से 0.12 बीघा ख0न0 216 की 9.18 बीघा मे से 0.18 बीघा ख0न0 83/379 की

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

जगमग झालावाड़

मैं घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

0.07 बीघा में से 0.02 बीघा ग्राम मण्डावर की 844 की 16.06 में से 0.15 बीघा कुल किता 19 की 31.16 बीघा वन भूमि की किस्म खारिज कर मेगा हाई वे परिवर्तन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार को निशुल्क आवंटन की जाती है। तथा मेगा हाई वे परिवर्तन में आयी वन विभाग की 31.16 बीघा वन भूमि के बदले ग्राम हरनावदा के ख0न0 230 की 50.09 बीघा में से 31.16 बीघा किस्म पठार भूमि को वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन कर वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ जितेंद्र कुमार सोनी)
8/1/17 जिला कलक्टर
झालावाड़

दिनांक 9/3/17

कमाक/राजस्व/ 89-800

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, (राजस्व गुप-3) राजस्व विभाग राज0 जयपुर
2. प्रमुख शारान सचिव, नागरिक उड्डय विभाग राजस्थान जयपुर
3. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर
5. मण्डल वन अधिकारी झालावाड़
6. उपखण्ड अधिकारी असनावर
7. उपखण्ड अधिकारी गंगधार
8. तहसीलदार असनावर पटवारी को पाबन्द करें कि भूमि का भौतिक दखल सबधित विभाग को देकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करें।
9. तहसीलदार गंगधार को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग को प्रत्यावर्तन की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग के नाम दर्ज कराई जावे।
10. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 झालावाड़
11. जिला राजस्व लेखाकर स्थानीय कार्यालय।
12. रक्षित पत्रावली।

अति0जिलम कलक्टर
झालावाड़

जहाँ सोच, वहीं शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

c/dm/rev/order



जगमग झालावाड़

गों घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती